न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– रवि जैन,
आई.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या 110/2018

1. मोहम्मद युसुफ पुत्र हाजी इब्राहिम जाति व्यापारी (मुसलमान) निवासी मौहल्ला काजीवाड़ा, वार्ड नम्बर 16, झुंझुनू तहसील व जिला झुंझुनू।

–– प्रार्थी

बनाम

1. महमुद पुत्र मौहम्मद हनीफ जाति व्यापारी (मुसलमान) निवासी वार्ड नम्बर 13, रेलवे फाटक, हवाई पट्टी सर्किल, झुंझुनू तहसील व जिला झुंझुनू।
2. इस्माईल पुत्र मोहम्मद सफी जाति व्यापारी (मुसलमान) निवासी वार्ड नम्बर 13, रेलवे फाटक, हवाई पट्टी सर्किल, झुंझुनू तहसील व जिला झुंझुनू।
3. मजीद पुत्र नूर मोहम्मद जाति व्यापारी (मुसलमान) निवासी वार्ड नम्बर 13, रेलवे फाटक, हवाई पट्टी सर्किल, झुंझुनू तहसील व जिला झुंझुनू।
4. गन्नी पुत्र अनवर जाति चोपदार निवासी वार्ड नम्बर 13, रेलवे फाटक, हवाई पट्टी सर्किल, झुंझुनू तहसील व जिला झुंझुनू।
5. आयुक्त , नगरपरिषद्, झुंझुनू तहसील व जिला झुंझुनू।
6. प्रशांत गांधी (प्रभारी अधिकारी) अवैध निर्माण व अतिक्रमण शाखा, नगर परिषद् झुंझुनू तहसील व जिला झुंझुनू।
7. राजीव जानू (स्वच्छता निरीक्षक) नगर परिषद् झुंझुनू तहसील व जिला झुंझुनू।
8. सहायक अभियंता (अ0वि0वि0नि0लि0) शहरी, झुंझुनू कार्यालय गणेश, मन्दिर अग्रसेन सर्किल के पास, झुंझुनू जिला झुंझुनू।
9. तहसीलदार, तहसील झुंझुनू जिला झुंझुनू।

–– अप्रार्थीगण

––

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11(2), 12 राजस्थान धार्मिक

भवन और स्थान अधिनियम 1954 के अनुसार

––

उपस्थितः–

1. श्री हरि प्रसाद सैनी – एडवोकेट प्रार्थी की ओर से।
2. श्री महेन्द्र कुमावत – एडवोकेट अप्रार्थी संख्या 1, 2 व 4 की ओर से।
3. श्री भगवान सिहं – एडवोकेट अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से।
4. श्री महेश चन्द्र शर्मा – एडवोकेट अप्रार्थी संख्या 5 लगायत 7 की ओर से।
5. श्री श्रवण कुमार सैनी – राजकीय अभिभाषक – अप्रार्थी संख्या 9 की ओर से।

जिला कलेक्टर झुन्झुनू

आदेश

दिनांक 26.08.2019

उक्त विषयक प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य निम्नानुसार है :– प्रार्थी की वाके ग्राम खिदरसर, रेलवे क्रोसिंग, हवाई पट्टी चौराहा के पास भूमि खसरा नम्बर पुराना 313/1, 313/2, 313/4, 362/317, 317/1, 319/4, 362/317/2, 314, 318 जिसके हाल खसरा नम्बर 724, 726, 728, 729, 730, 733, 734, 744, 746, 752, 759, 754, 755/753 स्थित है। प्रार्थी की मद् संख्या 1 में स्थित भूमि के राजस्व रिकॉर्ड बाबत दो अपीले न्यायालय भू–प्रबन्ध आयुक्त राजस्थान सरकार, जयपुर में उनवानी मौ. हुसैन बनाम नथमल, मुकदमा नम्बर 79/2000 व नथमल बनाम मौ. हुसैन मुकदमा नम्बर 78/2000 उक्त दोनों अपीले न्यायालय में विचाराधीन है व उक्त दोनों अपीलों में दिनांक 07.11.2000 से उक्त विवादित मद् संख्या 1 में दर्ज भूमि के रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति के आदेश न्यायालय पारित कर रखा है। प्रार्थी ने दिनांक 16.04.2018 को जिला कलक्टर महोदय, झुंझुनू को एक शिकायती पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया था कि अप्रार्थीगण नम्बर 1 लगायत 4 प्रार्थी की भूमि पर नाजायज रूप से कब्जा कर उक्त भूमि पर मस्जिद का निर्माण कर रहे है। उक्त निर्माण कार्य को तुरन्त रोका जावे। उक्त शिकायत प्रार्थी द्वारा व्यक्तिगत रूप से कार्यालय में उपस्थित होकर प्रदान की व प्रार्थी द्वारा उसी दिन दिनांक 16.04.2018 को शिकायत की एक – एक प्रति जरिये रजिस्टर्ड डाक से जिला कलक्टर झुंझुनू, जिला पुलिस अधीक्षक झुंझुनू, तहसीलदार झुंझुनू व थाना कोतवाली झुंझुनू को प्रेषित कर उक्त अवैध निर्माण को रोकने की इस्तदुआ की थी। प्रार्थी की उक्त भूमि जहां अप्रार्थी नम्बर 1 लगायत 4 ने अवैध रूप से मस्जिद का निर्माण किया है। उक्त भूमि रेलवे विभाग की सीमा में आती है व उक्त भूमि के पास ही अप्रार्थी संख्या 4 का एक अवैध कॉम्पलेक्स है। अप्रार्थी संख्या 4 अपना अवैध कॉम्पलेक्स बचाने के लिये पास प्रार्थी की खाली पड़ी भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर मस्जिद का निर्माण करवा दिया ताकि भविष्य में रेलवे विभाग व प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी नम्बर 4 पर कार्यवाही किये जाने पर मस्जिद बिच में आ जाये। इसलिए अप्रार्थी नम्बर 4 अपना अवैध कॉम्पलेक्स बचाने के लिए उक्त अवैध मस्जिद का निर्माण करवाया है। प्रार्थी द्वारा दिनांक 16.04.2018 व जरिये रजिस्टर्ड डाक से सूचना करने पर कोई कार्यवाही न होने पर प्रार्थी दिनांक 22.04.2018 को पुनः जिला कलक्टर झुंझुनू से मिलकर उक्त अवैध निर्माण की शिकायत प्रस्तुत करने पर जिला कलक्टर महोदय झुंझुनू ने तुरन्त तहसीलदार झुंझुनू को आदेशित किया था कि तत्काल कार्य बन्द करवाये तथा सुनिश्चित करें की जब तक माननीय न्यायालय का स्थगन आदेश है तथा निर्माण की वैध अनुमति नहीं हो तब तक कोई निर्माण नहीं कराया जावें। उक्त जिला कलक्टर के आदेश के बाद तहसीलदार झुंझुनू ने पटवारी देरवाला को सूचित करने के पश्चात दिनांक 23.04.2018 को पटवारी देरवाला ने मद् संख्या 1 में दर्ज भूमि पर हो रहे अवैध निर्माण को रोककर पाबन्द किया व स्वयं पटवारी देरवाला ने अपनी फर्द मौका रिपोर्ट में माना की मौके पर खसरा नम्बर 746 में सफा मरवरा मस्जिद का निर्माण कार्य चल रहा था, उक्त मस्जिद का निर्माण श्री महमुद, इस्माईल, अब्दुल मजीद व सदस्य गन्नी द्वारा करवाया जा रहा है। मौके पर पहुंच कर निर्माण कार्य को बन्द करवाया व मस्जिद कमेटी के सदस्यों को पाबन्द किया कि अग्रीम आदेश तक निर्माण कार्य शुरू न करें, जिस पर अप्रार्थी नम्बर 1 लगायत 4 के हस्ताक्षर है। इसके बावजुद भी अप्रार्थीगण ने प्रार्थी की भूमि पर अवैध कब्जा कर मस्जिद का निर्माण कर लिया। प्रार्थी के आवेदन पर कार्यालय जिला कलक्टर झुंझुनू द्वारा आयुक्त नगर परिषद् झुंझुनू को पत्र क्रमांक न्याय/16/961 दिनांक 25.04.2018 जारी किया, जिला कलक्टर के उक्त पत्र के बाद आयुक्त नगर परिषद् झुंझुनू ने पत्र क्रमांक 997–98 दिनांक 07.05.2018 जारी कर अप्रार्थी संख्या 6 व 7 को

जिला कलेक्टर झुन्झुनू

आदेशित किया था कि अविलम्ब निर्माण की मौके पर जांच कर अवैध निर्माण को तुरन्त बन्द करवाया जाकर तथ्यों की जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करे व साथ ही तहसीलदार झुंझुनू को अवैध मस्जिद निर्माण के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने बाबत सूचित किया जावें। आयुक्त नगर परिषद झुंझुनू के उक्त आदेश के बाद भी अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4, अप्रार्थी संख्या 6 व 7 से मिलकर सांठ गांठ कर अवैध निर्माण पूर्ण कर लिया। अप्रार्थी नम्बर 6 व 7 ने अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 पर कोई कार्यवाही नहीं की व न ही अवैध निर्माण को धवस्त किया। इसलिए अप्रार्थी नम्बर 1 लगायत 4 ने जो अवैध निर्माण किया है, उसे धवस्थ किया जाकर दण्डित किया जावें। प्रार्थी द्वारा आयुक्त नगरपरिषद् झुंझुनू को पुनः उक्त अवैध निर्माण की शिकायत करने के पश्चात आयुक्त नगर परिषद् झुंझुनू ने दिनांक 16.05.2018 पत्र क्रमांक एफ6(भूमि)/2018–19/261 जारी कर अप्रार्थी नम्बर 1 लगायत 3 को सूचित किया था कि आप द्वारा जो अवैध निर्माण कार्य करवाया गया था उसे बन्द कर उक्त अवैध निर्माण को स्वंय हटा लेवे अन्यथा आप पर नगर पालिका अधिनियम की धारा 194(9), 243 के अन्तर्गत कानूनी कार्यवाही की जावेगी। अप्रार्थी नम्बर 1 लगायत 3 पर कार्यवाही करने बाबत आयुक्त नगर परिषद् झुंझुनू ने पत्र क्रमांक न.प.(भूमि)2018–2019/262–63 दिनांक 16.05.2018 जारी कर अप्रार्थी नम्बर 6 व 7 को पाबन्द किया था। अप्रार्थी नम्बर 6 व 7 को पाबन्द करने बावजुद भी अप्रार्थी नम्बर 1 लगायत 4 ने अवैध निर्माण पूर्ण कर लिया व दिनांक 20.06.2018 को उक्त अवैध निर्माण पूर्ण हो जाने के पश्चात उसे नगर परिषद् द्वारा सील कर दिया गया। आयुक्त नगरपरिषद् द्वारा जारी आदेश मद संख्या 7 व 8 की पालना अगर प्रशांत गांधी (प्रभारी अधिकारी) अवैध निर्माण व अतिक्रमण शाखा व राजीव जानू (स्वच्छता निरीक्षक) अगर अपने उच्च अधिकारी के आदेशों की तुरन्त पालना करते तो उक्त अवैध निर्माण पूर्ण नहीं होता। उक्त अवैध निर्माण अप्रार्थी संख्या 6 व 7 की राजकीय कार्य के प्रति लापरवाही व अपने उच्च अधिकारी के आदेशों की अवहेलना करके अप्रार्थी नम्बर 1 लगायत 4 से मिलकर निर्माण पूर्ण करवा दिया। अगर भविष्य में उक्त अवैध मस्जिद के बाबत कोई साम्प्रदायिक माहौल खराब होता है तो उसके समस्त जबाबदार अप्रार्थी नम्बर 6 व 7 होगें। इसलिए अप्रार्थी नम्बर 6 व 7 के खिलाफ उच्च अधिकारी के आदेश की अवहेलना व भू–माफियाओं से मिलकर अवैध निर्माण करवाने पर विभागीय कार्यवाही की जावे व डी.एल.बी. जयपुर को भी कार्यवाही के लिये लिखा जावें। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर जिला कलक्टर महोदय झुंझुनू द्वारा थाना कोतवाली को आदेशित किया था जिस पर थाना कोतवाली झुंझुनू ने दिनांक 20.05.2018 को निर्माण कार्य बन्द करवाकर अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 को अन्तर्गत धारा 107, 116(3) में उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू से पाबन्द करवा दिया। अप्रार्थी को उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू द्वारा पाबन्द करने व नगर परिषद झुंझुनू पटवारी देरवाला द्वारा पाबन्द करने के पश्चात भी अवैध निर्माण पूर्ण कर प्रार्थी द्वारा राजनैतिक व सामाजिक दबाब बनाने के लिए दिनांक 24.05.2018 को उक्त सफा मरवरा मस्जिद में रोजा – इफ्तार की दावत कर दी गई ताकि प्रार्थी पर दबाब बनाया जा सके। अप्रार्थी नम्बर 1 लगायत 4 को दिनांक 23.04.2018 पटवारी हल्का देरवाला द्वारा पाबन्द व आयुक्त नगरपरिषद् द्वारा बार – बार पाबन्द करने के पश्चात दिनांक 07.05.2018 को अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड झुंझुनू से तथ्य छुपाकर फर्जी दस्तावेजो के आधार पर मस्जिद के नाम विद्युत कनेक्शन जारी करवा लिया। प्रार्थी द्वारा सहायक अभियन्ता को शिकायत प्रस्तुत करने पर शिकायत लेने से मना कर दिया व सहायक अभियन्ता ने बगैर मौके की जांच किये बगैर वैध भूखण्ड के राजनैतिक दबाब के कारण तुरन्त विद्युत कनेक्शन जारी कर दिया। इसलिए उक्त विद्युत कनेक्शन तुरन्त हटाया जावे व प्रार्थी द्वारा जिला कलक्टर झुंझुनू व आयुक्त नगर परिषद झुंझुनू से सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत उक्त अवैध निर्माण के सम्बन्ध में सूचना चाही गयी, जिस पर आयुक्त नगर परिषद् ने अवगत करवाया की उक्त सफा मरवरा मस्जिद की एन0ओ0सी0 इस विभाग द्वारा जारी नहीं की गई व न ही अप्रार्थीगण नम्बर 1 लगायत 4 द्वारा

जिला कलेक्टर झुन्झुनू

जिला कलक्टर से मस्जिद निर्माण की अनुमति प्राप्त की गई। अतः प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थी नम्बर 5 व 9 को आदेशित किया जावें की प्रार्थी की भूमि पर अप्रार्थी नम्बर 1 लगायत 4 द्वारा जो अवैध रूप से निर्माण कर मस्जिद का रूप दिया गया है उसे तुरन्त धवस्त किया जाकर दण्डित किया जावें। अप्रार्थी नम्बर 9 को आदेशित करे कि अप्रार्थी को पाबन्द किये जाने के बाद भी अप्रार्थी नम्बर 1 लगायत 4 द्वारा अवैध रूप से निर्माण कार्य किया है, इसलिए अप्रार्थी नम्बर 1 लगायत 4 पर कार्यवाही की जावे। अप्रार्थी नम्बर 5 को आदेशित करें कि अप्रार्थी नम्बर 6 व 7 पर विभागीय कार्यवाही की जाकर इनके खिलाफ डी.एल.बी. जयपुर को लिखा जावे व अवैध निर्माण हटाया जाकर प्रार्थी को कब्जा दिलवाया जावें। अप्रार्थी नम्बर 8 को आदेशित किया जावे कि प्रार्थी की भूमि पर जो विद्युत कनेक्शन जारी किया गया है , उसे तुरन्त विच्छेद किया जावे व तथ्यों को छुपाकर गलत विद्युत कनेक्शन जारी करवाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवायी जावें।

प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को सुनवाई हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी नम्बर 1, 2 व 4 की ओर से वकील श्री महेन्द्र कुमावत , अप्रार्थी नम्बर 3 की ओर से वकील श्री भगवान सिहं शेखावत तथा अप्रार्थी संख्या 5, 6 व 7 की ओर से वकील श्री महेश चन्द्र शर्मा व अप्रार्थी संख्या 9 की ओर से राजकीय अभिभाषय न्यायालय में उपस्थित आयें। अप्रार्थी संख्या 8 बावजुद तामिल के न्यायालय में उपस्थित नहीं आने पर दिनांक 28.08.2018 को अप्रार्थी संख्या 8 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

अप्रार्थी संख्या 3 ने दिनांक 25.07.2018 को जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि विवादित जमीन में अप्रार्थी संख्या 3 का कोई लेना देना नहीं है। विपक्षी संख्या 3 को गलत पक्षकार बनाया गया है। इसलिये विपक्षी संख्या 3 का उक्त कार्यवाही से नाम हटाया जावें।

अप्रार्थी संख्या 2 व 4 की तरफ से दिनांक 13.09.2018 व अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से 29. 10.2018 को जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि न्यायालय भू प्रबन्धक आयुक्त राजस्थान सरकार जयपुर में विचाराधीन प्रकरण की जानकारी अप्रार्थीगण संख्या 1, 2 व 4 नहीं है। प्रकरण में अप्रार्थीगण 1, 2 व 4 पक्षकार नहीं है और ना ही स्थगन बाबत अप्रार्थीगण को कोई जानकारी है। अप्रार्थी संख्या 4 का भूखण्ड 262 वर्गगज पर दिनांक 27.04.1989 से ही कब्जा है तथा निर्माण कार्य भी उस समय का किया हुआ है। प्रार्थी द्वारा दिनांक 16.04.2018 को माननीय जिला कलक्टर महोदय, पुलिस अधीक्षक, तहसीलदार महोदय व थाना कोतवाली झुंझुनू में शिकायत प्रार्थना पत्र की कोई जानकारी नहीं है। अगर शिकायत की गई है तो वह सरासर झुठी है। अप्रार्थीगण ने कोई अवैध निर्माण कार्य नहीं किया है। अप्रार्थीगण ने जो भी निर्माण किया है वह सन् 1989 का निर्माण कार्य किया हुआ है। यह कहना भी गलत है कि उक्त भूमि रेलवे विभाग की सीमा में आती है तथा उक्त भूमि के पास अप्रार्थी संख्या 4 का कोई कॉम्पलेक्स हो महज झुठे आधारों पर यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। रेलवे विभाग ने अप्रार्थीगण को कभी भी अवैध निर्माण बाबत नोटिस नहीं दिया गया है। रेलवे विभाग की ओर से प्रार्थी को पैरवी करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। प्रार्थी को भी अप्रार्थीगण के खिलाफ कोई कानूनी कार्यवाही करने का हक नहीं है। झुठे व मनगढन्त आधारो पर यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। माननीय जिला कलक्टर महोदय को प्रार्थी द्वारा दिनांक 16.04.2018 व दिनांक 22.04.2018 को गुमराह करने के उद्देश्य से झुठी शिकायत की है अप्रार्थीगण ने कोई नया निर्माण कार्य नहीं किया है जो सन् 1989 को अपने खरीद शुदा भूखण्ड पर उसी समय निर्माण कार्य किया गया था टुट – फुट का कार्य किया जा रहा था। दिनांक 23.04.2018 को पटवारी देरवाला ने अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 4 को जबरन पाबन्द किया है क्योंकि अप्रार्थी संख्या

जिला कलेक्टर झुन्झुनू

4 ने उक्त भूखण्ड इंतजामिया कमेटी वार्ड नम्बर 13 झुंझुनू को उपहार स्वरूप में दिनांक 08.09.2017 को गिफ्ट डीड तस्दीक व तकमील करवाकर दे दिया था। अप्रार्थीगण इंतजामिया कमेटी के पदाधिकारी थे अप्रार्थीगण ने कोई नया निर्माण कार्य नहीं किया है। आयुक्त नगर परिषद झुंझुनू ने अप्रार्थीगण को दिनांक 16.05.2018 को जो नोटिस दिया था। उसका जबाब अप्रार्थी संख्या 2 ने दिनांक 19.05.2018 को विस्तृत विवरण सहित पेश किया था। नगर परिषद् झुंझुनू द्वारा उक्त भूखण्ड को दिनांक 20.06.2018 को सील किया गया है वह प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है। नगर परिषद् द्वारा बिना किसी जांच के उक्त भूखण्ड को सील किया गया है जो सरासर गलत है एवं कानून के खिलाफ है। अप्रार्थीगण ने कोई सम्प्रदायिक माहौल खराब नहीं किया है। प्रार्थी स्वयं ही सम्प्रदायिक व्यक्ति है प्रार्थी उक्त भूखण्ड की रजिस्ट्री करवाने के बदले अप्रार्थीगण से नाजायज रूपये वसूल करना चाहता था। अप्रार्थीगण ने देने से मना कर दिया तब झुठे व गलत आधारों पर बार – बार झुठी शिकायत करके अप्रार्थीगण को हैरान व परेशान करना चाहता है व प्रार्थी का दूसरा भाई रमजान और था जिसका देहान्त हो चुका है। उसके वारिसान मोहम्मद हुसैन उक्त भूखण्ड की रजिस्ट्री करवाने को तैयार था इस बाबत नौरंग सिहं के वारिसान रामवतार को दिनांक 05.07.2018 को जबाब नोटिस में रजिस्ट्री करवाने का उल्लेख किया है। अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड झुंझुनू ने जो भूखण्ड पर कनेक्शन जारी किया है वह सही किया है पूरी जांच कर ही कनेक्शन जारी किया है, कोई तथ्य छुपाया नहीं था तथा ना ही फर्जी दस्तावेज पेश किये है। प्रार्थी मोहम्मद युसुफ का एक भाई रमजान और था जिसका देहान्त हो चुका है। दोनों भाईयों ने राजस्व ग्राम खिदरसर खाता संख्या 248 खसरा नम्बर 746 रकबा 0.10 हैक्टर को यानि 1162 वर्गगज दिनांक 20.01.1984 को 1162 वर्गगज भूमि का बेचान जरिये इकरारनामा द्वारा नौरंगसिहं पुत्र माधाराम जाति जाट निवासी वारिसपुरा तहसील व जिला झुंझुनू को किया था उक्त इकरारनामा पर दोनों भाईयों के हस्ताक्षर है। नौरंगसिहं ने उक्त भूमि के बाबत नियमन की कार्यवाही करवाने हेतु नगरपालिका झुंझुनू में दिनांक 20.11.2001 को 61640/– रूपये पुस्तक संख्या 21 रसीद संख्या 005 के द्वारा जमा करवा चुका है। नौरंग सिहं ने उक्त खरीद शुदा भूमि में से 262 वर्गगज 5 फुट का एक भूखण्ड हाल चलन 25000/– रूपये में अप्रार्थी संख्या 4 अब्दुल गन्नी पुत्र श्री अनवर खां जाति चौपदार निवासी झुंझुनू को दिनांक 27.04.1989 को जरिये इकरारनामा के द्वारा विक्रय कर दिया गया विक्रय के रोज से ही अप्रार्थी संख्या 4 का कब्जा है तथा उसी समय का निर्माण कार्य है। उक्त भूखण्ड में कोई अवैध निर्माण कार्य नहीं किया गया है प्रार्थी ने झुठी शिकायत पेश की है शिकायत कर्ता किस हैसियत से यह प्रार्थना पत्र पेश किया है शिकायत कर्ता ने दिनांक 20.01.1984 को उक्त भूमि नौरंग सिहं पुत्र महादाराम जाति जाट निवासी वारिसपुरा को जरिये इकरारनामा द्वारा बेचान कर दिया था। प्रार्थी का न तो उक्त भूमि पर कब्जा है और न ही उक्त भूमि का टाईटल है। शिकायतकर्ता ने अपने भाई रमजान के वारिसान को उक्त प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया है। रमजान के वारिस मौ. हुसैन ने उक्त भूमि को नौरंगराम पुत्र महादाराम को बेचना अपने जबाब नोटिस में दर्ज किया है। प्रार्थी चालाक किस्म का व्यक्ति है। उक्त भूमि सन् 1984 में नौरंग सिहं पुत्र महादाराम जाति जाट निवासी वारिसपुरा को बेच चुका है उक्त भूमि की रजिस्ट्री करवाने बाबत अप्रार्थीगण से मोटी रकम मांग रहा था। मोटी रकम नहीं देने कारण अप्रार्थीगण के विरूद्ध झुठी शिकायत कर रहा है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

अप्रार्थी संख्या 5, 6 व 7 ने दिनांक 06.02.2019 को जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि नगर परिषद् विधि द्वारा निर्मित संस्था है जिसके समस्त कार्य विधिनुसार सम्पादित किये जाते है। विपक्षी नम्बर 5, 6 व 7 के द्वारा किसी प्रकार की गैर कानूनी कार्यवाही की गई है इसलिए विपक्षी नम्बर 5, 6 व 7 के विरूद्ध प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। आवेदन पत्र धारा 11(2), 12

जिला कलेक्टर झुन्झुनू

राजस्थान धार्मिक भवन व स्थान अधिनियम 1954 के अनुसार प्रस्तुत करना बताया गया है जबकि उक्त अधिनियम की धारा 11(2) व 12 के तहत उक्त आवेदन पत्र किसी प्रकार चलने योग्य नहीं है। राजस्थान धार्मिक भवन व स्थान अधिनियम की धारा 13 के अनुसार कम्पलेंट पुलिस ऑफिसर द्वारा प्रस्तुत करने पर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या प्रथम कलाश मजिस्ट्रेट द्वारा ट्रायल किये जाने योग्य है। पुलिस ऑफिसर द्वारा कोई कम्पलेंट प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि आवेदन पत्र खारिज फरमाया जावें।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने बहस के दौरान नजीर राजस्थान धार्मिक भवन ओर स्थान अधिनियम 1954 एक्ट व नगरपालिका द्वारा द्वारा जारी सीज आदेश दिनांक 19.06.2018 की ओर ध्यान आकर्षित किया तथा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती की तथा तर्क प्रस्तुत किया कि विवादित भूमि के राजस्व रिकॉर्ड बाबत दो अपीले न्यायालय भू–प्रबन्ध आयुक्त राजस्थान सरकार, जयपुर में उनवानी मौ. हुसैन बनाम नथमल, मुकदमा नम्बर 79/2000 व नथमल बनाम मौ. हुसैन मुकदमा नम्बर 78/2000 उक्त दोनों अपीले न्यायालय में विचाराधीन है व उक्त दोनों अपीलों में दिनांक 07.11.2000 से उक्त विवादित मद् संख्या 1 में दर्ज भूमि के रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति के आदेश न्यायालय पारित कर रखा है। प्रार्थी की उक्त भूमि जहां अप्रार्थी नम्बर 1 लगायत 4 ने अवैध रूप से मस्जिद का निर्माण किया है। उक्त भूमि रेलवे विभाग की सीमा में आती है व उक्त भूमि के पास ही अप्रार्थी संख्या 4 का एक अवैध कॉम्पलेक्स है। अप्रार्थी संख्या 4 अपना अवैध कॉम्पलेक्स बचाने के लिये पास प्रार्थी की खाली पड़ी भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर मस्जिद का निर्माण करवा दिया ताकि भविष्य में रेलवे विभाग व प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी नम्बर 4 पर कार्यवाही किये जाने मस्जिद बिच में आ जाये। इसलिए अप्रार्थी नम्बर 4 अपना अवैध कॉम्पलेक्स बचाने के लिए उक्त अवैध मस्जिद का निर्माण करवाया है।प्रार्थी द्वारा दिनांक 16.04.2018 व जरिये रजिस्टर्ड डाक से सूचना करने पर कोई कार्यवाही न होने पर प्रार्थी दिनांक 22.04.2018 को पुनः जिला कलक्टर झुंझुनू से मिलकर उक्त अवैध निर्माण की शिकायत प्रस्तुत करने पर जिला कलक्टर महोदय झुंझुनू ने तुरन्त तहसीलदार झुंझुनू को आदेशित किया था कि तत्काल कार्य बन्द करवाये तथा सुनिश्चित करें की जब तक माननीय न्यायालय का स्थगन आदेश है तथा निर्माण की वैध अनुमति नहीं हो तब तक कोई निर्माण नहीं कराया जावें। उक्त जिला कलक्टर के आदेश के बाद तहसीलदार झुंझुनू ने पटवारी देरवाला को सूचित करने के पश्चात दिनांक 23.04.2018 को पटवारी देरवाला ने मद् संख्या 1 में दर्ज भूमि पर हो रहे अवैध निर्माण को रोककर पाबन्द किया व स्वयं पटवारी देरवाला ने अपनी फर्द मौका रिपोर्ट में माना की मौके पर खसरा नम्बर 746 में सफा मरवरा मस्जिद का निर्माण कार्य चल रहा था, उक्त मस्जिद का निर्माण श्री महमुद, इस्माईल, अब्दुल मजीद व सदस्य गन्नी द्वारा करवाया जा रहा है। मौके पर पहुंच कर निर्माण कार्य को बन्द करवाया व मस्जिद कमेटी के सदस्यों को पाबन्द किया कि अग्रीम आदेश तक निर्माण कार्य शुरू न करें, जिस पर अप्रार्थी नम्बर 1 लगायत 4 के हस्ताक्षर है। इसके बावजुद भी अप्रार्थीगण ने प्रार्थी की भूमि पर अवैध कब्जा कर मस्जिद का निर्माण कर लिया। प्रार्थी के आवेदन पर कार्यालय जिला कलक्टर झुंझुनू द्वारा आयुक्त नगर परिषद् झुंझुनू को पत्र कमांक न्याय/16/961 दिनांक 25.04.2018 जारी किया, जिला कलक्टर के उक्त पत्र के बाद आयुक्त नगर परिषद् झुंझुनू ने पत्र कमांक 997–98 दिनांक 07.05.2018 जारी कर अप्रार्थी संख्या 6 व 7 को आदेशित किया था कि अविलम्ब निर्माण की मौके पर जांच कर अवैध निर्माण को तुरन्त बन्द करवाया जाकर तथ्यों की जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करे व साथ ही तहसीलदार झुंझुनू को अवैध मस्जिद निर्माण के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने बाबत सूचित किया जावें। आयुक्त नगर परिषद झुंझुनू के उक्त आदेश के बाद भी अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4, अप्रार्थी संख्या 6 व 7 से मिलकर सांठ गांठ कर अवैध निर्माण पूर्ण कर लिया। अप्रार्थी

जिला कलेक्टर झुन्झुनू

नम्बर 6 व 7 ने अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 पर कोई कार्यवाही नहीं की व न ही अवैध निर्माण को धवस्त किया। इसलिए अप्रार्थी नम्बर 1 लगायत 4 ने जो अवैध निर्माण किया है, उसे धवस्थ किया जाकर दण्डित किया जावें। प्रार्थी द्वारा आयुक्त नगरपरिषद् झुंझुनू को पुनः उक्त अवैध निर्माण की शिकायत करने के पश्चात आयुक्त नगर परिषद् झुंझुनू ने दिनांक 16.05.2018 पत्र क्रमांक एफ6(भूमि)/2018–19/261 जारी कर अप्रार्थी नम्बर 1 लगायत 3 को सूचित किया था कि आप द्वारा जो अवैध निर्माण कार्य करवाया गया था उसे बन्द कर उक्त अवैध निर्माण को स्वंय हटा लेवे अन्यथा आप पर नगर पालिका अधिनियम की धारा 194(9), 243 के अन्तर्गत कानूनी कार्यवाही की जावेगी। अप्रार्थी नम्बर 1 लगायत 3 पर कार्यवाही करने बाबत आयुक्त नगर परिषद् झुंझुनू ने पत्र क्रमांक न.प.(भूमि)2018–2019/262–63 दिनांक 16.05.2018 जारी कर अप्रार्थी नम्बर 6 व 7 को पाबन्द किया था। अप्रार्थी नम्बर 6 व 7 को पाबन्द करने बावजुद भी अप्रार्थी नम्बर 1 लगायत 4 ने अवैध निर्माण पूर्ण कर लिया व दिनांक 20.06.2018 को उक्त अवैध निर्माण पूर्ण हो जाने के पश्चात उसे नगर परिषद् द्वारा सील कर दिया गया। अप्रार्थीगण द्वारा स्थगन आदेश के दौरान मस्जिद का निर्माण किया गया जो अवैध निर्माण की श्रेणी में आता है। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त निर्माण हेतु नगर परिषद से स्वीकृति भी नहीं ली है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना स्वीकार किया जाकर अवैध रूप से बनाई गई मस्जिद के निर्माण का धवस्त किये जाने के आदेश फरमावे जावें।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1, 2 व 4 ने बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक प्रार्थी के तर्को का विरोध किया तथा जबाब में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार का कोई अवैध निर्माण कार्य नहीं किया गया है। अप्रार्थीगण ने तो अपने निजी भूखण्ड पर धार्मिक आस्था रखते हुये सार्वजनिक रूप से मस्जिद का निर्माण किया गया है। न्यायालय भू–प्रबन्ध विभाग के यहां विचाराधीन अपीलों में अप्रार्थीगण पक्षकार नहीं है। इस कारण से अप्रार्थीगण को उक्त स्थगन आदेश की बाबत कोई जानकारी नहीं रही है। प्रार्थी मोहम्मद युसुफ का एक भाई रमजान और था जिसका देहान्त हो चुका है। दोनों भाईयों ने राजस्व ग्राम खिदरसर खाता संख्या 248 खसरा नम्बर 746 रकबा 0.10 हैक्टर को यानि 1162 वर्गगज दिनांक 20.01.1984 को 1162 वर्गगज भूमि का बेचान जरिये इकरारनामा द्वारा नौरंगसिहं पुत्र माधाराम जाति जाट निवासी वारिसपुरा तहसील व जिला झुंझुनू को किया था उक्त इकरारनामा पर दोनों भाईयों के हस्ताक्षर है। नौरंगसिहं ने उक्त भूमि के बाबत नियमन की कार्यवाही करवाने हेतु नगरपालिका झुंझुनू में दिनांक 20.11.2001 को 61640/– रूपये पुस्तक संख्या 21 रसीद संख्या 005 के द्वारा जमा करवा चुका है। नौरंग सिहं ने उक्त खरीद शुदा भूमि में से 262 वर्गगज 5 फुट का एक भूखण्ड हाल चलन 25000/– रूपये में अप्रार्थी संख्या 4 अब्दुल गन्नी पुत्र श्री अनवर खां जाति चौपदार निवासी झुंझुनू को दिनांक 27.04.1989 को जरिये इकरारनामा के द्वारा विक्रय कर दिया गया विक्रय के रोज से ही अप्रार्थी संख्या 4 का कब्जा है तथा उसी समय का निर्माण कार्य है। उक्त भूखण्ड में कोई अवैध निर्माण कार्य नहीं किया गया है प्रार्थी ने झुठी शिकायत पेश की है शिकायत कर्ता किस हैसियत से यह प्रार्थना पत्र पेश किया है शिकायत कर्ता ने दिनांक 20.01.1984 को उक्त भूमि नौरंग सिहं पुत्र महादाराम जाति जाट निवासी वारिसपुरा को जरिये इकरारनामा द्वारा बेचान कर दिया था। प्रार्थी का न तो उक्त भूमि पर कब्जा है और न ही उक्त भूमि का टाईटल है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण को हैरान परेशान करने व मोटी रकम हड़पने के उदेश्य से बार – बार शिकायत की जा रही है। अतः धार्मिक आस्था को ध्यान में रखते हुये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जाकर उक्त सीज की गई मस्जिद को खोलने के आदेश प्रदान किये जावें। वकील अप्रार्थी संख्या 3 ने भी वकील अप्रार्थीगण की बहस का समर्थन किया तथा प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

जिला कलेक्टर झुन्झुनू

वकील अप्रार्थी संख्या 5, 6 व 7 ने बहस के दौरान जबाब में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती की तथा तर्क प्रस्तुत किया कि आवेदन पत्र धारा 11(2), 12 राजस्थान धार्मिक भवन व स्थान अधिनियम 1954 के अनुसार प्रस्तुत करना बताया गया है जबकि उक्त अधिनियम की धारा 11(2) व 12 के तहत उक्त आवेदन पत्र किसी प्रकार चलने योग्य नहीं है। राजस्थान धार्मिक भवन व स्थान अधिनियम की धारा 13 के अनुसार कम्पलेंट पुलिस ऑफिसर द्वारा प्रस्तुत करने पर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या प्रथम कलाश मजिस्ट्रेट द्वारा ट्रायल किये जाने योग्य है। पुलिस ऑफिसर द्वारा कोई कम्पलेंट प्रस्तुत नहीं की गई है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निराधार तथ्यों पर आधारित है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

हमने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों, प्रस्तुत दस्तावेजों व नजीरों का अवलोकन किया तथा बहस वकील पक्षकारान पर मनन किया प्रकरण में यह तथ्य तो साफ की किया गया निर्माण मस्जिद है जो एक धार्मिक स्थल है। प्रार्थी का कहना है कि उक्त निर्माण अवैध रूप से प्रार्थी की भूमि पर किया गया है जबकि उक्त विवादित भूमि के टाईटल की बाबत प्रार्थी स्वयं द्वारा न्यायालय भू–प्रबन्ध आयुक्त जयपुर के यहां अपील दायर कर रखी है। किसी भूखण्ड का टाईटल तय करना इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं है। उक्त अपील में यदि स्थगन है तो प्रार्थी अवैध निर्माण को रोकने की कार्यवाही संबंधित न्यायालय में करनी चाहिए थी। जहां तक सवाल मस्जिद के वैध होने का है उसके संबंध में अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से साफ जाहिर है कि उक्त भूखण्ड मस्जिद हेतु अब्दुल गन्नी द्वारा गिफ्ट/उपहार के रूप में दान की गई है। मस्जिद एक धार्मिक स्थल है जो सार्वजनिक रूप से उपयोग में आने हेतु बनाई जाती है। न्यायालय की दृष्टि धार्मिक आस्था के स्थल जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरूद्वारा आदि किसी प्रकार से निजी उपयोग नहीं लिया जा सकता है यहां पर सभी व्यक्ति अपनी आस्था अनुसार आस्तिक रूप से उपयोग में लेते है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नजीर प्रकरण पर चस्पा नहीं होती है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज किया जाता है तथा उक्त सीज की गई मस्जिद को सीज हटा कर खोलने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थी सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने हेतु स्वतन्त्र है। निर्णय की प्रति तहसीलदार झुंझुनू व आयुक्त नगर परिषद झुंझुनू को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 26.08.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रवि जैन)
जिला कलक्टर झुंझुनू
जिला कलक्टर झुंझुनू